



2026:AHC:32690

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 4827/2026

महंत

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अभिषेक उपाध्याय, शशिकांत उपाध्याय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता, मनोज कुमार मौर्य, सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

- 30प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में, प्रत्यर्थी संख्या 4/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार (न्यायिक), तहसील भटपररानी, जिला देवरिया द्वारा दिनांक 04.12.2023 को बेदखली और हर्जाने का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश से व्यथित होकर, 30प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के तहत एक वैधानिक अपील दायर की गई थी, जिसे प्रत्यर्थी संख्या 2/कलेक्टर, देवरिया द्वारा भी खारिज कर दिया गया। उपर्युक्त अपील को खारिज करते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 3/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील भटपररानी, जिला देवरिया, तथा प्रत्यर्थी संख्या 4/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार (न्यायिक), तहसील भटपररानी, जिला देवरिया को यह निर्देश दिया गया कि वे याचिकाकर्ता को इस बात को ध्यान में रखते हुए भूमि उपलब्ध कराएं कि वह कुम्हार है। दिनांक 27.08.2025 के आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-
“अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है। चूंकि अपीलार्थी जाति का कुम्हार है और अपीलार्थी का कथन है कि ग्रामीण शिल्पकार है तथा मिट्टी का बर्तन बनाने का कार्य करता है, जिससे अपीलार्थी एवं उस पर निर्भर परिवार का भरण-पोषण होता है। ऐसी दशा में उप जिलाधिकारी/तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी की पात्रता को ध्यान में रखते हुए उसके पक्ष में कुम्हारी कला का आवंटन सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार को प्रेषित की जाए।”
- यह तर्क दिया गया है कि ऊपर उद्धृत किए गए निर्देश के बावजूद, उक्त निर्देश का पालन नहीं किया गया है; और याचिकाकर्ता को एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उसे संबंधित भूमि पर किए गए अपने अतिक्रमण को 15 दिनों के भीतर हटाने के लिए कहा गया है, अन्यथा उसे बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। अतः, याचिकाकर्ता को यह याचिका दायर करने के लिए विवश होना पड़ा है।
- अभिलेखों की जाँच करने पर यह स्पष्ट है कि यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 27.08.2025 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, और इसे खारिज करते समय कुछ विशिष्ट टिप्पणियाँ की गई थीं जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, इसके बावजूद प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा याचिकाकर्ता को उस भूमि को खाली करने के लिए प्रश्नगत नोटिस जारी किया गया है, जिस पर उसने अतिक्रमण किया है।
- इसका अवलोकन करने के पश्चात्, न्यायालय की यह राय है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा याचिकाकर्ता को जारी की गई दिनांक 21.01.2026 की नोटिस, अपने आप में अवैध है और विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है।
- इस मामले को देखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 6 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर भारती को निर्देश दिया जाता है कि वे 21.01.2026 की तारीख वाले नोटिस के लेखक का व्यक्तिगत शपथ-पत्र, तीन सप्ताह के भीतर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।
- इस मामले को 23.03.2026 को सूचीबद्ध करें।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. तब तक, याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा बेदखली और हर्जाने के संबंध में पारित दिनांक 04.12.2023 के आदेश, प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा पारित दिनांक 27.08.2025 के आदेश, तथा प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा याचिकाकर्ता को जारी दिनांक 21.01.2026 के नोटिस के अनुसरण में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी; और पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।)

13 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"